

सा. का. नि. 249.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) (वर्ग "ग" पद) भर्ती नियम, 1984, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I भर्ती नियम, 1989, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग "ग" और वर्ग "घ" पद) भर्ती नियम, 1983, जहां तक वे टेक्निशियन और ट्रेसर और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग "ग" और वर्ग "घ" पद) भर्ती नियम, 1983, तथा जहां तक वे डिस्पैच राइडर के पद से संबंधित हैं, का अधिक्रमण करते हुए, अन्यथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने से छोड़ी गई बातों के सिवाय, राष्ट्रपति एतद्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में वर्ग "ग" पदों पर विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय शिलांग (वर्ग "ग" पद) भर्ती नियम, 2004 कहा जा सकेगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पदों से जुड़ी भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5. निरर्हता.—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हों, या

(ख) जिस पुरुष/महिला ने पत्नी/पति के जीवित होते हुए भी विवाह किया हो, वह उक्त किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यह और कि यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह संबंधित व्यक्ति तथा विवाह करने वाले दूसरे पक्ष की स्वीय विधि के तहत अनुज्ञेय हो तथा वैसा करने के अन्य आधार भी हों, तो इस नियम के लागू होने से किसी को छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्र सरकार समझती है कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां ऐसे कारणों से, जिन्हें लिपिबद्ध किया जा सके, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन नियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकती है।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों से, समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, पूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष कोटि के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सेलेक्शन या गैर-सेलेक्शन पद
1	2	3	4	5
1. टेक्निशियन	1*(एक) (2004) *कार्यभार के आधार पर संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग "ग" (अराजपत्रित)	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं

सीधी भर्ती से आने वालों के लिए आयु सीमा	क्या अतिरिक्त वर्षों के सेवा लाभ, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय हैं	सीधी भर्ती से आने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7	8
18-25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष के लिए शिथिलनीय) नोट :— सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा निश्चित करने की अंतिम तारीख भारत में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तारीख को छोड़कर) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति के लिए वह तारीख अंतिम तारीख मानी जाएगी जब तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा गया हो।	लागू नहीं	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त हायर सेकेण्डरी स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट/सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट या समकक्ष उत्तीर्ण किया हो। 2. प्रोजेक्टर/ऑडियो-विजुअल उपकरण/पब्लिक एंड्रेस सिस्टम/टेप रिकार्डर चलाने का ज्ञान हो। 3. फोटो कॉपीअर मशीन चलाने/मरम्मत करने का ज्ञान हो। 4. हल्के मोटर वाहनों को चलाने का अनुभव अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी।

क्या सीधी भर्ती से आने वालों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
9	10	11
लागू नहीं	2 (दो वर्ष)	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो इसके संघटन क्या है

वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से सलाह ली जाती है

12	13	14
लागू नहीं	विभागीय प्रोन्नति समितियों की संरचना में (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे :— 1. उप सचिव/निदेशक, पूर्वोत्तर परिषद् —अध्यक्ष 2. सहायक सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् —सदस्य 3. सहायक निदेशक (स्टाफ/स्थापना) महा डाकपाल का कार्यालय, पूर्वोत्तर सर्कल शिलांग —सदस्य	लागू नहीं।

1	2	3	4	5
2. ट्रेसर	1(एक)* (2004) *कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' (अराजपत्रित)	3200-85-4900 रु.	लागू नहीं

6	7	8
18-25 वर्ष (विभागीय उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा निश्चित करने की अंतिम तारीख होगी (संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में आवेदन-पत्र प्राप्त करने की तारीख को छोड़कर) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति के लिए वह तारीख अंतिम तारीख मानी जाएगी जब तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा गया है।	लागू नहीं	अनिवार्य : मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण वांछनीय : ट्रेसर के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव

9	10	11
लागू नहीं	2 (दो वर्ष)	सीधी भर्ती द्वारा। ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

12	13	14
भारत सरकार के तहत ट्रेसर के पद पर नियुक्त अधिकारी या समकक्ष (आमतौर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	विभागीय प्रोन्नति समिति में (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. उप सचिव/निदेशक, पूर्वोत्तर परिषद् —अध्यक्ष 2. सहायक सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् —सदस्य 3. सहायक निदेशक (स्थापना) महा डाकपाल का कार्यालय, पूर्वोत्तर सर्कल, शिलांग —सदस्य	लागू नहीं।

1	2	3	4	5
3. ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-I	2(दो) * (2004) *कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' अराजपत्रित गैर-लिपिक वर्गीय	4500-125-7000 रु०	लागू नहीं
6	7	8		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
9	10	11		
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा। ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।		

12	13	14
प्रोन्नति : पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय में 10 (दस) वर्षों की नियमित सेवा कर चुके ग्रेड के नियमित ट्रेसर्सों में से प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में सदृश पद या निचले ग्रेड में पद धारण किए या रु० 4000-6000 के वेतनमान में उसी ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारियों में से (प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसमें नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी)	विभागीय प्रोन्नति समिति में (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. उप सचिव/निदेशक, पूर्वोत्तर परिषद् —अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक (स्टाफ/स्थापना) महा डाकपाल का कार्यालय, पूर्वोत्तर सर्कल शिलांग —सदस्य 3. सहायक निदेशक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति —सदस्य	लागू नहीं।

1	2	3	4	5
4. जूनियर इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल)	1(एक) * (2004) *कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) गैर-लिपिक वर्गीय	4500-125-7000 रु.	लागू नहीं

6	7	8
18-25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट :—सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा निश्चित करने की अंतिम तारीख भारत में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तारीख को छोड़कर रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति के लिए वह तारीख अंतिम तारीख मानी जाएगी जब तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा गया हो।	लागू नहीं	अनिवार्य : आई०टी०आई० या केन्द्र सरकार से मान्यताप्राप्त अन्य संस्थान से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा। वांछनीय : न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव।

9	10	11
लागू नहीं	2 (दो वर्ष)	सीधी भर्ती द्वारा । ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा ।

12	13	14
केन्द्र सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/राज्य सरकार के तहत सदृश पदधारी अधिकारियों में से या 4000-6000 रु० के वेतनमान में या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके अधिकारियों में से । उन्हें आई०टी०आई० या केन्द्र सरकार से मान्यताप्राप्त डिप्लोमाधारी होना चाहिए (आमतौर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	विभागीय प्रोन्नति समिति में (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. उप सचिव/निदेशक, पूर्वोत्तर परिषद् —अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शिलांग —सदस्य 3. सहायक निदेशक, (स्टाफ/स्थापना) महा डाकपाल का कार्यालय, पूर्वोत्तर सर्कल, शिलांग —सदस्य	लागू नहीं ।

1	2	3	4	5
5. डिस्पैच राइडर	1(एक)* (2004) *कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' (अराजपत्रित)	3050-75-4590 रु०	लागू नहीं

6	7	8
18-25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट :—सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा निश्चित करने की अंतिम तारीख भारत में आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में आवेदन-पत्र प्राप्त करने की तारीख को छोड़कर रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति के लिए वह तारीख अंतिम तारीख मानी जाएगी जब तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा गया हो ।	लागू नहीं	अनिवार्य : 1. हल्के मोटर वाहन चालन का वैध लाइसेंस धारक होना चाहिए । 2. मोटर साइकिल की बनावट का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए । वांछनीय : 3. एस०एल०सी० या समकक्ष और मोटर कार/मोटर साइकिल चालन में अनुभव ।

9	10	11
लागू नहीं	2 (दो वर्ष)	सीधी भर्ती या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा ।

12	13	14
कालम 8 में निर्धारित अर्हताएं पूरी करने वाले वर्ग 'ब' स्टाफ से समान ग्रेड से (प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं
	1. उप सचिव/निदेशक, पूर्वोत्तर परिषद	—अध्यक्ष
	4. सहायक निदेशक, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति शिलांग	—सदस्य
	3. सहायक निदेशक, (स्थापना) महा डाकपाल का कार्यालय, शिलांग	—सदस्य

[फा. सं. एन.ई.सी./ए.डी.एम./24/2002(जे.आर.)]

आर. माथुर, उप सचिव

पाद टिप्पण : गृह मंत्रालय की

दिनांक 29-08-83 की अधिसूचना संख्या-III 14029/16/78/एन.ई. II

दिनांक 26-11-83 की अधिसूचना संख्या-III 14028/7/79/एन.ई. II

दिनांक 26-10-84 की अधिसूचना संख्या 5/5/78/एन.ई. II

दिनांक 22-09-87 की अधिसूचना संख्या 5/17/85/एन.ई. II

दिनांक 21-04-89 की अधिसूचना संख्या 14029/16/78/एन.ई. II के अधिक्रमण में

NORTH EASTERN COUNCIL SECRETARIAT

Shillong, the 16th March, 2004

G.S.R. 249.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong Junior Engineer (Electrical) (Group 'C' post), Recruitment Rules, 1984, the North Eastern Council Secretariat, Shillong Draftsman Grade I Recruitment Rules, 1989, North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1983, in so far as they relate to the posts of Technician and Tracer, and the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1983, in so far as they relate to the posts of Despatch Rider, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification and scale of Pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Technician	1* (One) 2004 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted,	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not exceeding 18–25 years (relaxable for Government servants by five years in accordance with the instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit for Direct Recruitment shall be the closing date for receipt of applications in India (Other than those in the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). The crucial date for appointment through Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.

Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
7	8	9	10
Not applicable	1. Passed Higher Secondary School Leaving Certificate/Secondary School Leaving Certificate or equivalent recognised by a University/Board. 2. Having knowledge in handling Projector/Audio Visual Aids/Public Address System/Tape Recorder. 3. Having knowledge in operation/repair of photocopier machine. 4. Motor Car Driving experience for Light Motor Vehicle will be considered as additional qualification	Not applicable	2 (two) years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	--	---	---

11	12	13	14
By direct recruitment 100%	Not applicable	Composition of Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Deputy Secretary —Chairman Director, North Eastern Council 2. Assistant Secretary —Member North Eastern Council 3. Assistant Director —Member (Staff/Accounts) Office of the Post Master General, Shillong	Not applicable

1	2	3	4	5	6
2. Tracer	1* (One) 2004 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted)	Rs. 3200-85-4900	Not applicable	18-25 years (35 years for departmental candidates). Note : The crucial date for determining the age limit for Direct Recruitment shall be the closing date for receipt of applications in India (Other than those in the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). The crucial date for appointment through Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.

7	8	9	10
Not applicable	Essential : Matriculation or equivalent. Desirable : At least one year's experience as Tracer	Not applicable	2 (two) years

11	12	13	14
By direct recruitment failing which by deputation/absorption	Officers under the Govt. of India holding the post of Tracer or equivalent. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years)	Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : 1. Deputy Secretary/ —Chairman Director, North Eastern Council 2. Assistant Secretary, —Member North Eastern Council 3. Assistant Director —Member (Establishment) Office of the Post Master General, Shillong	Not applicable

1	2	3	4	5	6
3. Draftsman Gr. I	2* (Two) 2004 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12	13	14
By promotion failing which by deputation/absorption	Promotion : From among regular Tracer in the North Eastern Council Secretariat with 10 (ten) years' regular service in the grade. Deputation/absorption : Officers under the Central or State or Union Territories Government holding analogous post or post in the lower grade, in the same grade in the scale of Rs. 4000-6000 with five years' regular service in the grade. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not ordinarily exceed 3 years).	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Deputy Secretary/ —Chairman Director, North Eastern Council 2. Assistant Director —Member (Staff/Establishment), Office of the Post Master General, North Eastern Circle, Shillong. 3. Assistant Director —Member Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, Shillong.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
4. Junior Engineer (Electrical)	1* (One) 2004 *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Not applicable	Not exceeding 18—25 years (Relaxable upto 35 years for Government servants in accordance to the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit for Direct Recruitment shall be the closing date for receipt of applications in India (other than those in the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). The crucial date for appointment through Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.

7	8	9	10
Not applicable	Essential : Degree/Diploma in Electrical Engineering, Diploma should be from ITI or other Institutes recognised by the Central Government. Desirable : At least one year's experience.	Not applicable	2 (two) years

11	12	13	14
By direct recruitment failing which by deputation/absorption	Deputation/absorption from officers under the Central Government/Union Territory/State Government holding analogous posts or 5 years service in the post in the scale of Rs. 4000-6000 or equivalent. They should possess at least Diploma in Electrical Engineering from ITI or any other Institute recognised by the Central Government (Period of deputation ordinarily not to exceed three years)	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— 1. Deputy Secretary/ Director, North Eastern Council 2. Assistant Director —Member Scheduled Castes/ Scheduled Tribe, Shillong 3. Assistant Director (Staff/Establishment), Office of the Post Master General, North Eastern Circle, Shillong	Not applicable

1	2	3	4	5	6
5. Despatch Rider	1* (One) 2004 *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted)	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	18-25 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the insturction or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit for Direct Recruitment shall be the closing date for receipt of applications in India (other than those in the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). The crucial date for appointment through Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.
7	8	9	10		
Not applicable	Essential : (1) Possession of a valid licence for Light Motor Vehicle driving. (2) Preliminary knowledge of motor cycle mechanism. Desirable : (3) SSLC or equivalent and experience in motor car/motor cycle driving.	Not applicable	Two years		
11	12	13	14		
Direct recruitment or promotion or deputation or absorption	Promotion from Group 'D' staff fulfilling qualifications laid down against column 8. Deputation/absorption from equivalent grade. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Departmental Promotion Committee (for promotion/confirmation) consisting of :— 1. Deputy Secretary/ Director, North Eastern Council 2. Assistant Director Scheduled Caste/ Scheduled Tribe, Shillong 3. Assistant Director (Establishment), Office of the Post Master General, Shillong	Not applicable		

[F. No. NEC/ADM/24/2002(JR)]
R. MATHUR, Dy. Secy.

Foot Note : In supersession of MHA's Notification No. III. 14029/16/78-NE. II dt. 29-8-83, No. III. 14028/7/79-NE. II dt. 26-11-83, No. 5/5/84-NE. II dt. 26-10-84, No. 5/17/85-NE. II dt. 22-9-1987, No. 14029/16/78-NE. II dt. 21-4-89.